2026:RJ-JP:31313

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8149/2026
CNR: RJHC010549182026
URN: CRLMB / 17673U / 2026

Harvinder Singh Alias Makhan S/o Balveer Singh, Aged About 30 Years, Resident Of Tarobadi, Police Station Sadar Fajilka, District Fajilka Punjab.
(At Present Lodged In Jail Sri Ganganagar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Aashish Kumar
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

14/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस संहिता **पुलिस थाना चूनावढ़, जिला श्रीगंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **189/2023,** अपराध अन्तर्गत धारा **8/21 एनडीपीएस अधिनियम** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि बरामदसुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। सहअभियुक्त कुलदीपसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 10920/2023, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2023, के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। बरामदसुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम होना बतायी गई है। आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। सहअभियुक्त कुलदीपसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 10920/2023, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2023 के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **हरविन्द्र सिंह उर्फ मक्खन पुत्र बलवीर सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

55/SN Lohra/336